उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः — /VII-2-18/123–उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः 11 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

चूंकि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/सात–II–08/08, दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने तथा राज्य के समावेशी विकास के उद्देश्य से दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए "**विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008** प्रख्यापित की गयी थी;

और चूंकि, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–184/सात–2–15/146–एमएसएमई/2013, दिनांक 31 जनवरी, 2015 द्वारा "**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015**' प्रख्यापित की गयी थी;

और चूंकि, "**विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008** द्वारा उससे आच्छादित उद्योगों को उनके स्थापना से निर्धारित अवधि के लिए प्रोत्साहन की सुविधा अनुमन्य करायी गयी थी;

और चूंकि, **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015** द्वारा भी उससे आच्छादित उद्योगों को उनके स्थापना से निर्धारित अवधि के लिए प्रोत्साहन की सुविधा अनुमन्य करायी गयी थी;

और चूंकि, वर्तमान में मूल्य वर्धित कर के स्थान पर माल औरसेवा कर के प्राविधान प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप इन नीतियों में सामयिक परिवर्तन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है;

अतः अब, राज्यपाल लोकहित में माल/सेवाओं पर अधिरोपित कर (एस0जी0एस0टी0) के भाग की प्रतिपूर्ति हेतु "**उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति दिशा निर्देश, 2018** जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति दिशा निर्देश, 2018

संक्षिप्त नाम 1. इन दिशा निर्देशों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति दिशा निर्देश, 2018 है।

दिशा निर्देश का उद्देश्य 2. दिशा निर्देश का उद्देश्य विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथा संशोधित 2011) में वर्गीकृत श्रेणी–'ए' व 'बी' में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यमों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी–'ए', 'बी' एवं बी+ में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यमों को, बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाये रखते हुए, ईकाई के उत्पाद में होने वाली लागत वृद्धि को कम करना है, जिससे वर्गीकृत क्षेत्र में स्थापित होने वाली उक्त ईकाइयों को उत्पाद की बिक्री में सहायता मिल सके तथा उक्त ईकाइयां सतत् रूप से क्रियाशील रह सके।

दिशा निर्देश की अवधि	3.	उक्त दिशा निर्देश एम0एस0एम0ई0 नीति, 2015 के जारी होने के दिनांक 31 जनवरी, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक अथवा शासन के कोई अन्यथा आदेश पारित करने की दशा में वर्णित दिनांक तक स्थापित औद्योगिक ईकाइयों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले घटित हो, माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रतिपूर्ति का लाभ अनुमन्य होगा।
परिभाषायें	4.	(1) **माल और सेवा कर (जी.एस.टी.)** से "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" (अधिनियम संख्या 6, वर्ष 2017) की धारा 9 के अधीन उदग्रहीत माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) अभिप्रेत है;

(2) नए अभिज्ञात विनिर्माणक/उत्पादक (**Manufacturing**) उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जो उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन में या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोगिता रखता हो, के मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया में लगे हुए हों या संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले, उद्यमों की दशा में, जैसे:-

(एक) एक **सूक्ष्म उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।

(दो) एक **लघु उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या

(तीन) एक **मध्यम उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो।

(3) **सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से तात्पर्य** ऐसे उद्यम से है, जिसे 'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग-1 व 2 (EM Part-I & II) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में आधार ज्ञापन फाइल कर **"उद्योग आधार ज्ञापन"** की अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

स्वीकार्य माल और सेवा कर (जी.एस.टी.)	5.	पात्र औद्योगिक ईकाइयों/उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पाद की बिक्री पर भुगतान किये गये माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) की प्रतिपूर्ति, निम्नानुसार दावे की अर्हता के निर्धारण होने पर, अनुमन्यता के अनुसार की जायेगी।

(1) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति,2008 (यथा संशोधित-2011) में वर्गीकृत श्रेणी-'ए' व 'बी' में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम

विनिर्माणक (Manufacturing) उद्यमों को माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) की प्रतिपूर्ति नीति के अनुसार शेष समय के लिए **श्रेणी–ए** के जिलों/क्षेत्रों में कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 90 प्रतिशत तथा **श्रेणी– बी के जिलों में** कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 75 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(2) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम नीति, 2015 के अन्तर्गत माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा **श्रेणी–ए** के जिलों/क्षेत्रों के लिए 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का शत्–प्रतिशत तथा तत्पश्चात् शेष समय तक 90 प्रतिशत और **श्रेणी–बी तथा बी+** के जिलों/क्षेत्रों में 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का शत्–प्रतिशत तथा तत्पश्चात् शेष समय तक 75 प्रतिशत की दर से देय होगी।

पात्रता

6. **माल और सेवा कर (जी.एस.टी.)** प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता निम्नवत होगी:–

(1) ईकाई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति नियमावली,2015 अथवा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति,2008 (यथा संशोधित,2011) में चिन्हित विनिर्माण उद्यम की श्रेणी में आती हो।

(2) ईकाई विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति,2008 (यथा संशोधित, 2011) अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति,2015 के अन्तर्गत उल्लिखित श्रेणी/क्षेत्रों में स्थापित हो।

(3) ईकाई द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत चिन्हित उत्पाद विनिर्माण हेतु उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 (EM Part- I & II) प्राप्त किया गया हो अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में आधार ज्ञापन (UAM) फाइल कर उद्योग आधार ज्ञापन की पावती प्राप्त की गई हो।

(4) ईकाई द्वारा माल और सेवा कर विभाग से चिन्हित उत्पाद विनिर्माण हेतु पंजीकरण प्राप्त किया गया हो।

(5) ईकाई विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति,2008 (यथा संशोधित 2011) अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति,2015 के अन्य मानकों को पूर्ण करती हो।

माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति/संवितरण की प्रक्रिया

7. माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित निदेशालय, 'नोडल अभिकरण' के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण, प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिये गठित राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित ईकाई को किया जायेगा।

पांच लाख रूपये या कम प्रतिपूर्ति के दावों की स्वीकृति जिला प्राधिकृत समिति के द्वारा प्रत्येक तीन माह में की जायेगी तथा इससे अधिक की स्वीकृति राज्य प्राधिकृत समिति के द्वारा की जायेगी।

माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

8. पात्र विनिर्माणक ईकाइयों द्वारा सर्वप्रथम माल और सेवा कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप मासिक/त्रैमासिक विवरणी दाखिल की जायेगी तथा विवरणी के अनुसार माल और सेवा कर (GST) अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात् कुल कर दायित्व को देखते हुए ईकाई को इन दिशा निर्देशों के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए, ऐसे एस.जी.एस.टी. के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो। इस हेतु दावा निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिलें के जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा:–

(1) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 (EM Part- I & II) अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में उद्योग आधार ज्ञापन की पावती की सत्यापित प्रति।

(2) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(3) ईकाई द्वारा निर्धारित माल और सेवा कर भुगतान की, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रमाणित प्रति अथवा ऑन–लाईन भुगतान की प्रति, जिसमें यह स्पष्ट हो कि भुगतान राज्य कर विभाग,उत्तराखण्ड के हित में किया गया हो।

(4) ईकाई के मासिक/त्रैमासिक रिटर्न (Return) की राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा सत्यापित प्रति।

(5) ईकाई के वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Return) की सत्यापित प्रति,

प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर।

(6) राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ईकाई के पक्ष में जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति (प्रथम दावे के साथ)।

(7) अन्य वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र।

स्पष्टीकरण:

(एक) माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रत्येक तीन माह की समाप्ति के पश्चात अगले 06 माह के अन्दर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे किसी भी दावे को निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने की दशा में दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में कालातीत दावों के सन्दर्भ में गुण–दोष के आधार पर राज्य/जिला प्राधिकृत समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(दो) यद्यपि प्रतिपूर्ति सहायता हेतु दावे त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत/स्वीकृत किये जायेंगे, किन्तु प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Return) की कर विभाग में दाखिल वार्षिक विवरणी की सत्यापित प्रति उस तीन माह के दावे के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी।

प्रतिपूर्ति की वसूली 9. निम्नलिखित परिस्थितियों में ईकाई को भुगतान किये गये माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू–राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी:–

(1) यदि ईकाई द्वारा तथ्यों को गलत ढ़ंग से प्रस्तुत किया गया हो अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो।

(2) ईकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू न रखा हो। विशेष अथवा आपदा सम्बन्धी कारणों पर निर्णय के लिए महानिदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में कोई जानकारी अथवा सूचना उपलब्ध न करायी हो अथवा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति,2008 (यथा संशोधित, 2011) अथवा राज्य की एम.एस.एम.ई. नीति/क्रियान्वयन आदेश, 2015/संगत नियमों द्वारा निर्धारित मानकों/दिशा–निर्देशों का पालन न किया गया हो।

स्पष्टीकरण

10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 (यथा संशोधित,2016) के अंतर्गत चिन्हित पात्र ऐसे विनिर्माणक उद्यम, जिनके द्वारा उत्पादित माल/वस्तु जिन पर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (GST) लागू नहीं होता और जिन पर राज्य के अन्दर उत्पादित माल/वस्तु के विक्रय में पूर्व की भाँति मूल्यवर्धित कर (VAT) अधिरोपित किया जा रहा है, को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा इस विषय पर दिशा निर्देशों/प्रक्रिया, जैसा कि विहित किया जाय, के अनुसार ही निर्धारित सीमा/मात्रा में पात्रता के आधार पर मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0सं0–413/XXVII(08)/2018 दिनांक 10 मई, 2018 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 895/VII-2-18/123-उद्योग/2008, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
5. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

All GM's

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।